उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1,
संख्या-56/2015/2550/92-1-2015-75(अधि0)/2014,
लखनऊ:: दिनांक:: 08 जून, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

विभागीय निर्माण कार्यो को गुणवत्ता पूर्वक मानकों के अनुसार कराये जाने, निर्माण कार्यो के निरीक्षण व उनके अनुश्रवण को गतिशीलता प्रदान किये जाने के दृष्टिगत तात्कालिक प्रभाव से श्री राजीव कुमार गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-फिरोजाबाद को स्थानान्तरित करते हुए उन्हें कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर से एतदद्वारा सम्बद्ध किया जाता है।

2- शासन के अग्रिम आदेशों अथवा अधीक्षण अभियन्ता, परिमण्डल-गोरखपुर में पदधारक की तैनाती होने तक जनहित एवं शासकीय कार्यहित में कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर से सम्बद्ध रहते हुए श्री राजीव कुमार गुप्ता द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर के पद के कार्यो एवं दायित्वों का अतिरिक्त कार्यभार के रूप में निर्वहन किये जाने हेतु भी एतदद्वारा अधिकृत किया जाता है।

3- श्री राजीव कुमार गुप्ता को अधीक्षण अभियन्ता, परिमण्डल-गोरखपुर के अतिरिक्त कार्यो एवं दायित्वों को सम्पादित करने के लिये उन्हें किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन-भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।

4- अधीक्षण अभियंता के पद के अतिरिक्त कार्यो एवं दायित्वों के सम्पादन हेतु उक्त नितान्त काम चलाऊ एवं अस्थायी प्रबन्धन व्यवस्था शासन द्वारा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

5- यह आदेश आगामी दिनांक 01 जुलाई, 2015 से प्रभावी माना जायेगा।

6- श्री गुप्ता द्वारा दिनांक 30-6-2015 तक अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमंडल-आगरा के अतिरिक्त पद के कार्यो/दायित्वों का निर्वहन शासनादेश संख्या-49/6045/92-2014-75(अधि0)/2014, दिनांक 31-12-2014 में निहित व्यवस्था के अनुसार पूर्ववत किया जायेगा।

डा0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-56/2015/2550(1)/92-1-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता, (पूर्वी/पश्चिमी) ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
7- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- विशेष सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http: /shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।